

राजरव मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक - 1654 / तीन / 2014

जिला शिवपुरी

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रकरण एवं
अभिभाषक
नं.दिनांक

24.6.14

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 314/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.12.13 के विरुद्ध ग0प्र0भू राजरव संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को प्रस्तुत की गई है।


2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर एवं अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 314/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.12.13 के अवलोकन पर पाया गया कि विचाराधीन निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को अर्थात् आदेश पारित होने के 150 दिन बाद प्रस्तुत की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 14.3.14 को आवेदन देने पर 10.4.14 को अर्थात् 27 दिवस का समय लगा है 150-27=123 दिवस का विलम्ब है, जबकि संहिता में किये गये संशोधन क्रमांक 42 सन् 2011 - ग0प्र0राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित अनुसार इस हेतु केवल 60 दिवस की समावधि निर्धारित है। इस प्रकार निगरानी लगभग 63 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत है। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के तथ्यों के पुष्टि में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.14 की जानकारी रीडर ने 10.4.14 को दी और इसी दिन नकल आवेदन देकर 10 4 14 को नकल प्राप्त की, जबकि प्रमाणित प्रतिलिपि पर अंकित तिथि अनुसार नकल

निगरानी क्रमांक 1654/तीन/2014

हेतु आवेदन 14.3.14 को दिया गया है इस प्रकार अवधि विधान की धारा-5 में दिया गया विवरण आवेदक के स्वच्छ मन का प्रतीक नहीं है। आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 31.12.13 के अनुसार अपीलार्थी (आवेदक) के अभिभाषक ने इसी दिन उपस्थित रहकर तर्क प्रस्तुत किये हैं और इसी दिन आदेश पारित हुआ है।

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा 5 -- विलंब माफी हेतु आवेदन - आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया - प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं - विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
 2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लागू देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
 3. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959- धारा 47 - अंतिम तर्क उपरान्त आदेश हेतु तिथि नियत -- अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है- आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया- आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी।
 4. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 धारा 47 -- आदेश की जानकारी का दिनांक एवं उसका श्रोत साबित नहीं किया गया -- विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है।
- 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अवधि-वाह्य पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

न्यायालय
प्र.क्र.
2014
7-11